UPJL010004702024

Presented on : 23-01-2024
Registered on : 23-01-2024
Decided on : --
Duration :

IN THE COURT OF
Spl. Judge SC/ST Act
AT ,Jalaun
(Presided Over by SRI SURESH KUMAR GUPTA)

Complaint Cases/2000003/2024

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एसी0टी0 एक्ट) जालौन स्थान उरई

उपस्थितः सुरेश कुमार गुप्ता, (एच.जे.एस)

परिवाद संख्या–03/2024,

बलराम जाटव बनाम प्रबंधक नितिन श्रीवास्तव आदि।

दिनांक–17.12.2025

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। तलबी बहस विगत तिथि को सुनी जा चुकी है। आज आदेश हेतु पत्रावली का परिशीलन किया।

संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि परिवादी बलराम जाटव पुत्र स्व० श्री शंकर दयाल निवासी 2440 नया पटेल नगर चुर्खी रोड बाईपास उरई थाना कोतवाली उरई जिला जालौन का निवासी है। परिवादी ने अपने पुत्र राजा सिंह का एडमीशन वर्ष 2021 में डी०फार्मा मे श्री सत्य साई इस्टीट्यूट ऑफ फार्मासुटिकल साइंस एण्ड रिसर्च आशाराम बापू आश्रम रोड उरई जिला जालौन मे कराया था। उस समय इंस्टीट्यूट के प्रबंधक नितिन श्रीवास्तव पुत्र श्री वेदप्रकाश श्रीवास्तव निवासी स्वराज एजेंसी के सामने मुहल्ला राजेन्द्र नगर उरई थाना कोतवाली उरई जिला जालौन व कैशियर पंकज मो०नं० 9120525911 से वार्ता कर और इन दोनो ने परिवादी को गुमराह किया और कहाकि हम बैक डेट मे एक साल बचाते हुये आपके पुत्र का एडमीशन एक साल बैंक सत्र 2020 में करा देगे। इसके एवज में परिवादी से प्रबंधक ने 2,50,000/– रूपये की मांग की जिसमें परिवादी ने 47,750/– रूपये सत्र 2020–21 व दूसरी रसीद 47,750/– रूपये सन 2021–2022 दिनांक 07.07.2021 की जमा की व एक कच्ची रसीद 07.07.2021 को 1,50,000/–रूपये की काटकर दी जिसमे पंकज कैशियर के हस्ताक्षर थे। परिवादी के साथ जालसाजी व धोखा किया गया और किसी भी प्रकार का कोई एडमिट कार्ड या परीक्षा की कोई तारीख नही बतायी गयी जब परिवादी ने सन 2022 मे कॉलेज गया और पता किया कि परीक्षा क्यो नही हो रही है तो कैशियर पकुज व प्रबन्धक नितिन श्रीवास्तव द्वारा यह कहकर टाल दिया गया कि अभी सत्र लेट चल रहा है जिसकी वजह से परीक्षा अभी नही हो रही है। परिवादी ये सुनकर वापिस आ गया और धीरे–धीरे चार

Digitally signed by Suresh Kumar Gupta
Date: 2025.12.18 12:41:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पाच महिने बीत गये वर्ष 2023 में परिवादी पुनः कालेज गया और परीक्षा के बारे मे पूछा तो पुन : वही जबाब मिला जिससे परिवादी को शक हुआ और परिवादी ने पुलिस में शिकायत करने की बात की तो कैशिर पकज व प्रबन्धक नितिन श्रीवास्तव द्वारा कहा गया कि आप एक हफ्ते बाद आना और परीक्षा का एडमिट कार्ड ले जाना। एक हफ्ते बाद दिनाक 28.12.2023 को जब परिवादी कालेज गया तो उक्त कैशिर व प्रबंधक द्वारा एक फर्जी एडमिट कार्ड दिया गया जो कि वर्ष 2023 का प्रथम वर्ष का एडमिट कार्ड था जब परिवादी ने एतराज किया और कहाकि यह तो फस्ट सेमिस्टर का एडमिट कार्ड है तो प्रबंधक ने परिवादी को गाली गलौज कर जाति शूचक शब्दो का प्रयोग कर बोला कि साले चमरा वाले यहां से भाग जाओ नही तो जान से मार देगे व परिवादी के साथ मारपीट की। उक्त लोगो ने परिवादी के पुत्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है किसी तरह परिवादी निराश होकर घर आ गया और फोन पर प्रबंधक से अपने पैसे मागे तो प्रबंधक व कैशियर ने गाली गलौज कर कहाकि मैं तुम्हारा कोई पैसा नही दूगा जो करना है कर लो। परिवादी ने घटना की सूचना थाना कोतवाली उरई में दी लेकिन कोई कार्यवाही नही हुयी तब उक्त घटना के सम्बन्ध में परिवादी ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक जालौन स्थान उरई को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भेजा किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः विपक्षीगण को तलब किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षीगण को नोटिस भेजे गये, किंतु विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी।

परिवादी द्वारा परिवाद के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में धारा 200 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत स्वयं को तथा धारा–202 दं0प्र0सं0 के तहत पी0डब्लू0–1 राजा सिंह को परीक्षित कराया गया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 6क से आधार कार्ड की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छाया प्रति, फीस की रसींदे तथा एडमिट कार्ड की प्रति दाखिल किये गये हैं।

मामला इंस्टीटयूट में दाखिला को लेकर फीस के लेन देन तथा बैक सत्र में एडमीशन से संबंधित धोखाधड़ी व षडयंत्र के संबंध में है। ऐसे में कोई आदेश पारित करने के पूर्व परिवादी के परिवाद कथानक की सत्यतता की सही जानकारी के संबंध में धारा–202(1) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अन्वेषण कराया जाना न्यायोचित प्रतीत है। अतः क्षेत्राधिकारी उरई को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी के परिवाद पत्र व उसके गवाहन एवं दाखिल प्रपत्रों के संबंध में ाारा–202(1) दं0प्र0सं0 में अन्वेषण कर अपनी आख्या नियत दिनांक 23.01.2026 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति के साथ समस्त कागजात संबंधित क्षेत्राधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करें। परिवादी आवश्यक पैरवी करे।

दिनांक–17.12.2025

(सुरेश कुमार गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
जालौन स्थान उरई।